# छत्तीसगढ़ शासन
## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय
## महानदी भवन, नया रायपुर

# अधिसूचना

क्रमांक एफ–20–31 / 2015 / 11 / (6)          नया रायपुर दिनांक 04/06/2015

राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "ब्याज अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु **"छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम – 2014"** निम्नानुसार लागू करता है :–

**1– परिचय:–**

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने, अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, विदेशी तकनीकी वाले उद्यमी, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, निःशक्त वर्ग तथा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु ब्याज अनुदान की योजना का विस्तार किया गया हैं।

इस योजना के तहत् मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्टिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा साइकिल निर्माण एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद / उपकरण / स्पेयर्स संबंधी उद्योगों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह अधिसूचना पात्र उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन), राईस मिलों का आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) व कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना व इनके विस्तार तथा फिल्म उद्योग के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो एडीटिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर लागू होगी।

**2– नियम :–**

ये नियम "छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम– 2014" कहे जायेंगे ।

**3– प्रभावशील तिथि :–**

ये नियम दिनांक 01.11.2014 से प्रभावशील होंगे ।

**4– परिभाषाएं :–**

इस अधिसूचना के अन्तर्गत नियमों के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होगीं जो औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 पर संलग्न हैं।

5— पात्रता :—

**5.1**— औद्योगिक नीति 2014—19 की कालावधि दिनांक 01.11.2014 से 31.10.2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले औद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट—2 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी (अपात्र) उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा साइकिल निर्माण एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स) के उद्योगों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर उनकी परियोजना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त/पंजीयन प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अधिसूचित बैंकों से प्राप्त किये सावधि ऋण (Term Loan) पर संबंधित वित्त पोषक संस्था/ बैंक को भुगतान किये गये ब्याज के विरूद्ध अनुदान की पात्रता होगी।

**5.2**— विद्यमान उद्योगों को औद्योगिक नीति 2014—19 की कालावधि में अर्थात् दिनांक 01.11.2014 से 31.10.2019 तक विद्यमान उद्योग में विस्तार/ शवलीकरण कर संबंधित उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट—2 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी (अपात्र) के उद्योगों को छोड़कर, इसके लिये उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त/पंजीयन प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अधिसूचित बैंकों से प्राप्त किये सावधि ऋण (Term Loan) पर संबंधित वित्त पोषक संस्था/ बैंक को भुगतान किये गये ब्याज के विरूद्ध अनुदान की पात्रता होगी।

**5.3**— लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज के विस्तार को औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु सामान्य उद्योगों की भांति निर्धारित दर के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन कंडिका 6 "अनुदान की मात्रा" शीर्षक के तहत् तालिका के अनुरूप अनुदान की पात्रता होगी ।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 20—120/2009/11/(6) दिनांक 6 जनवरी 2012 के मापदण्ड लागू होंगे।

**5.4**— यदि राज्य में स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण की परिभाषा के अन्तर्गत प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रू. 100 लाख का निवेश करते हुए आधुनिकीकरण करती हैं, तो उन्हें सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता कंडिका 6 "अनुदान की मात्रा" शीर्षक के तहत् तालिका के अनुरूप होगी।

**5.5**— औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों हेतु लिये गये सावधि ऋण पर सामान्य नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान की पात्रता कंडिका 6 "अनुदान की मात्रा" शीर्षक के तहत् तालिका के अनुरूप होगी ।

**5.6**— यह आवश्यक है कि उद्योग में नवीन स्थापना, विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शवलीकरण हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 05 वर्षों की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/ प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

सेवा उद्यमों यथा लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण, फिल्म उद्योग से संबंधित प्रकरणों में वाणिज्यिक रूप से कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से उपरांकित शर्त का पालन करना होगा।

**5.7**— भारत सरकार/ राज्य शासन या इनके निगमों /मंडलों / संस्थाओं / बोर्ड की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अर्न्तगत वित्त पोषित औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी, यदि उन्हें वित्त पोषण रियायती ब्याज दर पर किया गया हो ।

**5.8**— यदि भारत सरकार/ राज्य शासन या इसके किसी निगम/ बोर्ड /मंडल /आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से अनुदान प्राप्त किया गया हो, तो इस अधिसूचना के अर्न्तगत पात्रता नहीं होगी।

**5.9**— राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग जो 31 अक्टूबर 2014 तक की स्थिति में विद्यमान रहा है व औद्योगिक नीति 2014–19 में संतृप्त (अपात्र उद्योग) श्रेणी के उद्योगों में नहीं है, ऐसे विद्यमान उद्योगों को विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शवलीकरण पर अनुदान की पात्रता होगी ।

**5.10**— ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि में यदि किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा पूर्व बैंक/ वित्तीय संस्था से जिनने ऋण स्वीकृत व वितरित किया था, से ऋण अधिग्रहित किया जाता है तो ऐसी दशा में भी ब्याज अनुदान की पात्रता इकाई की मूल पात्रता अवधि तक होगी।

**5.11**— जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजेक्ट तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम. पार्ट –1 / आई.ई.एम./ आशय पत्र / औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009–2014 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो। उन्हें औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत, (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–2

**5.12**— ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व पात्र औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/ अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । आगामी क्लेम केवल छः माही आधार पर अगले छः माह के भीतर संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये स्वत्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किये जायेंगें।

यहां प्रथम स्वत्व से तात्पर्य है, ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक / अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, की तिथि को चल रहे वित्तीय वर्ष की अवधि में 30 सितम्बर तक अथवा 31 मार्च तक, जो पहले हो ।

**5.13**— प्राथमिकता उद्योगों हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता हेतु यह आवश्यक है राज्य शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम निवेश से अधिक मात्रा में पूंजी निवेश करें।

## 6— अनुदान की मात्रा :—

**6.1** पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम एवं वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्टिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा साइकिल निर्माण एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स) के उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा—

**6.2**— कंडिका 5.3, कंडिका 5.4 एवं कंडिका 5.5 के पात्रताधारियों को भी पात्रता अनुरूप इसी तालिका अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

**6.3— नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग —**

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| **श्रेणी अ— औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट —7 अनुसार )** | (1)— सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख वार्षिक)<br>(2)— अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये | (1)— सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 15.00 लाख वार्षिक)<br>(2)— अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये |

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| | ब्याज का 45 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 10.50 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 11.00 लाख वार्षिक)<br>(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 20.00 लाख वार्षिक) | ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 15.75 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 16.50 लाख वार्षिक)<br>(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 25.00 लाख वार्षिक) |
| **श्रेणी ब– औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट –8 अनुसार )** | (1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 20.00 लाख वार्षिक)<br>(2)– अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशाकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 21.00 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 22.00 लाख वार्षिक)<br>(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति | (1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 30.00 लाख वार्षिक)<br>(2)– अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशाकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 65 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 31.50 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 33.00 लाख वार्षिक)<br>(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति |

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| | वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 40.00 लाख वार्षिक) | वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 50.00 लाख वार्षिक) |

## 6.4– विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विस्तार

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान की मात्रा विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योग में औद्योगिक नीति 2014–19 की कार्यावधि में जितनी बार भी विस्तार किया जावें, विस्तार पर अनुदान की कुल अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका में अंकित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

## 6.5– विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का शवलीकरण

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के शवलीकरण के प्रकरणों में अनुदान की मात्रा शवलीकृत उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी । शवलीकरण करने पर अनुदान की अधिकतम सीमा भी उपरोक्त तालिका के अनुसार होगी, चाहे औद्योगिक नीति 2014–19 के कार्यवाही में जितनी बार भी शवलीकरण किया जावें।

## 6.6– नवीन मध्यम एवं वृहद् उद्योग

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| **श्रेणी अ– औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–7 के अनुसार )** | (1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख वार्षिक)<br>(2)– अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये | (1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 20.00 लाख वार्षिक)<br>(2)– अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये |

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| | ब्याज का 30 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 10.50 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 11.00 लाख वार्षिक)<br>(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 25.00 लाख वार्षिक) | ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 21.00 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 22.00 लाख वार्षिक)<br>(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 40.00 लाख वार्षिक) |
| **श्रेणी ब– औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–8 के अनुसार )** | (1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 25.00 लाख वार्षिक)<br>(2)– अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशाकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 26.25 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 27.50 लाख वार्षिक) | (1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 40.00 लाख वार्षिक)<br>(2)– अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशाकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 65 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 42.00 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 44.00 लाख वार्षिक) |

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| | (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 40.00 लाख वार्षिक) | (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख वार्षिक) |

**6.7– विद्यमान मध्यम एवं वृहद् उद्योगों का विस्तार**

विद्यमान मध्यम एवं वृहद उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान की मात्रा विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योग में औद्योगिक नीति 2014–19 की कार्यावधि में जितनी बार भी विस्तार किया जावें, विस्तार पर अनुदान की कुल अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका में अंकित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

**6.8– विद्यमान मध्यम एंव वृहद् उद्योगों का शवलीकरण**

विद्यमान मध्यम एवं वृहद उद्योगों के शवलीकरण के प्रकरणों में अनुदान की मात्रा शवलीकृत उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी । शवलीकरण करने पर अनुदान की अधिकतम सीमा भी उपरोक्त तालिका के अनुसार होगी, चाहे औद्योगिक नीति 2014–19 के कार्यवाही में जितनी बार भी शवलीकरण किया जावें।

**6.9– नवीन मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स** (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्टिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा साइकिल निर्माण एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| **श्रेणी अ– औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–7 के अनुसार )** | (1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख वार्षिक)<br>(2)– अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशाकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 55 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 63.00 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 66.00 लाख वार्षिक) |

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| | (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 70.00 लाख वार्षिक) |
| **श्रेणी ब–** **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–8 के अनुसार )** | (1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 8 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 100.00 लाख वार्षिक)<br>(2)– अप्रवासी भारतीय/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशाकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशकों द्वारा स्थापित उद्योगों को 8 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 105.00 लाख वार्षिक)<br>(3) महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 8 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 80 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 110.00 लाख वार्षिक)<br>(4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 8 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 120.00 लाख वार्षिक) |

**6.10– विद्यमान मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स का विस्तार**

विद्यमान मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के विस्तार पर ब्याज अनुदान की मात्रा विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योग में औद्योगिक नीति 2014–19 की कार्यावधि में जितनी बार भी विस्तार किया जावें, विस्तार पर अनुदान की कुल अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका में अंकित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

**6.11**– उपरोक्तानुसार अंकित उद्यमी यदि औद्योगिक नीति 2014–19 की कंडिका 15.20 के अनुसार नियत दिनांक के पश्चात् स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को में उद्योग स्थापित करते है तो अनुदान की दर उद्यमी के वर्ग हेतु निर्धारित दर से 10 प्रतिशत अधिक होगी एवं अनुदान की अधिकतम सीमा भी उद्यमी के वर्ग हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

**6.12**– अनुदान की गणना अवधि नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार एवं शवलीकरण की योजनाओं पर स्वीकृत सावधि ऋण के ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी तथा स्थापित राईस मिलों के आधुनिकीकरण की योजना में प्लांट एवं मशीनरी हेतु स्वीकृत ऋण के वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी।

अन्य सेवा उद्यमों, फिल्म उद्योग से संबंधित क्रियाकलापों में भी अवधि की गणना ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी।

**6.13**– पूर्ण वर्ष का क्लेम नियमानुसार किये जाने पर ही वार्षिक अधिकतम सीमा तक अनुदान की पात्रता होगी। एक वर्ष से न्यून क्लेमों के निराकरण हेतु वार्षिक अधिकतम सीमा को तदनुसार विभाजित कर अनुदान स्वीकृत किया जावेगा।

**6.14**– अनुदान केवल मूल ब्याज के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर अनुदान प्राप्त नहीं होगा ।

**6.15**– यदि अनुदान की कोई कालावधि छः मास में समय पर ब्याज या मूलधन की किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पोषित संस्था/बैंक द्वारा "ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter) माना जाता है तो उसे उस कालावधि का ब्याज अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी कालावधि में "एक बार ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter) हो जाने पर उस कालावधि की ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी **भले ही आगामी** कालावधि में, पूर्व की कालावधि के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक कालावधि में प्रमाण पत्र देना होगा।

## 7– <u>प्रक्रिया व अधिकार :–</u>

**7.1**– पात्र औद्योगिक इकाईयों को **"उपाबंध 1"** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जो वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में एक प्रति में एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में दो प्रतियों में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद **"उपाबंध –2"** में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से दी जावेगी ।

अपूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर अपूर्णता से संबंधित कमियों को पूर्ण करने /अभिलेख जमा करने हेतु प्रकरण प्राप्त होने के साथ 10 दिवसों के भीतर सूचित किया जावेगा। अपूर्ण प्रकरण पूर्ण होने के पश्चात् ही पंजीबद्ध किया जावेगा व उपरोक्तानुसार प्राप्ति की रसीद दी जावेगी। निर्धारित 10 दिवसों की अवधि में प्रकरण की कमियॉ पूर्ण न होने पर अपूर्ण प्रकरण पंजीकृत डाक से इकाई को लौटा दिया जावेगा।

(1) लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–1/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो )/उत्पादन प्रमाण पत्र

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–2 /

वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज /स्थापित राईस मिलों में आधुनिकीकरण से संबंधित इन्द्राज ।

(3) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

(4) निःशक्त से संबंधित प्रकरणों में निःशक्तता से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(5) सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभागीय/ कार्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(6) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(7) ऋण स्वीकृति पत्र (सिर्फ पहले आवेदन के साथ), उसके पश्चात स्वीकृति पत्र में संशोधन/ परिर्वतन होने पर सबंधित क्लेम अवधि में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र।

(8) संबंधित अवधि का बैंक स्टेटमेंट ।

(9) प्राथमिकता श्रेणी से संबंधित मान्यता पत्र ।

(10) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित क्लेम अवधि में (छः मास) में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में ''ऋण न चुकाने वाला'' ( Defaulter) नहीं है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र।

**7.2**— औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत ब्याज अनुदान सबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक के पश्चात छः माही आधार पर संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया प्रथम स्वत्व ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/ अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, की तिथि को चल रहे वित्तीय वर्ष की अवधि में 30 सितम्बर तक अथवा 31 मार्च तक (जो पहले हो) प्रस्तुत किया जावेगा। पश्चातवर्ती छःमाही क्लेम 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि हेतु एवं 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक की अवधि के होंगें।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि आवेदन के पूर्ण होने पर पूर्ण आवेदन पत्रों को उनके क्रम में स्वीकृति/ अस्वीकृति की कार्यवाही करें।

**7.3**— मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण ''उपाबंध 3'' के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यमों, फिल्म उद्योगों के विकास एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों, मध्यम तथा वृहद उद्योगों के प्रकरणों में प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से स्थल निरीक्षण व परीक्षण करवाकर स्वत्वों के नियमों के अनुसार होने पर ''उपाबंध 4'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।

उपरोक्त से भिन्न प्रकरणों में अर्थात् मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में महाप्रबंधक/प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से स्थल निरीक्षण व परीक्षण करवाकर अपने अभिमत/अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति सत्यापित सहपत्रों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत होने के 30 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा निर्णय लिया जावेगा एवं प्रकरण पूर्ण एवं नियमानुसार होने पर उपाबंध 4 अनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।

किसी भी औद्योगिक इकाई/ सेवा उद्यम के समस्त स्वत्वों का स्थल निरीक्षण/ परीक्षण यथासंभव उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जावेगा जिनके द्वारा प्रथम प्रकरण में स्थल निरीक्षण/ परीक्षण किया गया था।

**7.4**– स्वत्व के नियमानुसार न होने /अपूर्ण होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी होने के निर्धारित अवधि 45 दिवसों के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील करने का प्रावधान का भी उल्लेख करना होगा ।

**7.5**– उद्योग संचालनालय द्वारा ब्याज अनुदान के बजट का आवंटन अनुदान स्वीकृति के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

**7.6**– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेलटमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

**7.7**– स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् ही अनुदान वितरण की कार्यवाही प्रारंभ होगी ।

**7.9**– बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

**7.10**–राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/ उसंचा–रा/ 2005/ 9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के द्वारा किया जायेगा ।

## 8– <u>"ब्याज अनुदान" की वसूली–</u>

8.1– ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते मे जमा हो जाने के पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई /बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त

किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की जा सकेगी ।

8.2– उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सामान की जा सकेगी ।

8.3– स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

8.4– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्वों की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 5.6 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी तथा अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी।

8.5– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/ निःशक्त से संबंधित प्रमाण–पत्र/ सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र /अप्रवासी भारतीय/ एफ0डी0आई0 निवेशक/ निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक वाले उद्योग या महिला उद्यमी से संबंधित प्रमाण–पत्र/तथ्य गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

8.6– उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

8.7– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।

8.8– उपर्युक्त बिन्दु 8.1 से 8.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे ।

## 9– <u>अपील /वाद –</u>

9.1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी । उद्योग आयुक्त/संचालक के आदेश के विरूद्ध अपील राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

9.2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग के मूल आदेशों के विरूद्ध भी अपील राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

9.3— सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

9.4— अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।

9.5— अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

## 10 अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने रू. 10 लाख वार्षिक से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक स्वप्रमाणित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त होने वाले न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

(3) ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जावेगा । उद्योग आयुंक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

(4) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र0 5.6 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

## 11— स्वप्रेरणा से निर्णय :—

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा । स्वयं के निर्णय की समीक्षा भी राज्य शासन, प्रमुख सचिव/ सचिव, उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग कर सकेंगे।

12— योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं ब्याज अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं

उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

**13**— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

**14**— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

**15— <u>योजना का क्रियान्वयन</u>**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

"उपाबंध– 1"

(नियम 7.1)

छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2014 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र

कुल पात्रता अवधि .................. से ......................तक

वर्तमान क्लेम, अवधि............... से ........................तक

<table>
<tr><td rowspan="3">क्र0</td><td rowspan="3">1 औ0इकाई का नाम व पता<br>2 उद्यमी का वर्ग<br>3 ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस का विवरण<br>4 ई0एम0 पार्ट–2 का विवरण<br>5 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र का विवरण<br>अ–उत्पाद एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता<br>ब– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक<br>स–स्थायी पूंजी निवेश<br>द– कुल रोजगार<br>इ– कुल रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार (अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय श्रेणी में तथा कुल रोजगार में उनका प्रतिशत)<br>6 ऋण वितरण का प्रथम दिनांक</td><td rowspan="3">नवीन उद्योग / विद्यमान उद्योग का विस्तार/ शवलीकरण/ स्थापित राईस मिलों का आधुनिकीकरण या लॉजिस्टिक हब/ वेयर हाउसिंग/ कोल्ड स्टोरेज / फिल्म उद्योग के विकास से संबंधित गतिविधियां</td><td colspan="5">ऋण का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="3">स्वीकृति</td><td colspan="2">वितरण</td></tr>
<tr><td>ऋण का स्वरूप<br>सावधि ऋण</td><td>स्वीकृत राशि</td><td>दिनांक</td><td>कुल वितरित राशि</td><td>दिनांक ............... तक</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| पूर्व मान्य क्लेम तक भुगतान किये गये ब्याज अनुदान का विवरण | | वित्त पोषित राशि का संस्था को देय विवरण | | | औद्योगिक इकाई/ सेवा उद्यम द्वारा भुगतान की गयी राशि जिस पर ब्याज अनुदान का क्लेम किया गया है | | | | क्लेम किये गये ब्याज अनुदान का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि | प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि | | राशि | दिनांक | | राशि | दिनांक | अनुदान की दर | भुगतान किये गये ब्याज की राशि का : अनुदान | ब्याज अनुदान क्लेम राशि |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण<br>2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर<br>योग | | | 1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण<br>2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर<br>योग | | | | | |

| कुल रोजगार **(नवीन उद्योगो के प्रकरणों में)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्रम वर्ग | रोजगार क्षमता | प्रदत्त रोजगार | राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार | प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत |
| 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| अकुशल वर्ग | | | | |
| कुशल वर्ग | | | | |
| प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग | | | | |
| महायोग | | | | |

| कुल रोजगार **(विद्यमान उद्योगो के विस्तार/शवलीकरण के प्रकरणों में)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रम वर्ग | विद्यमान औद्योगिक ईकाई के औद्योगिक ईकाई के रूप में दिया गया रूप | | | विद्यमान औद्योगिक ईकाई के विस्तार/शवलीकरण के तहत दिया गया कुल रोजगार | विद्यमान औद्योगिक ईकाई के विस्तार/शवलीकरण के तहत राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार | विद्यमान औद्योगिक ईकाई के विस्तार/शवलीकरण के तहत प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत |
| | राज्य के मूल निवासी | राज्य के बाहर | कुल | | | |
| 20 | 21 | | | 23 | 25 | 27 |
| अकुशल वर्ग | | | | | | |
| कुशल वर्ग | | | | | | |
| प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग | | | | | | |
| महायोग | | | | | | |

औद्योगिक इकाई/ सेवा उद्यम के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

वित्तीय संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
वित्तीय संस्था का नाम व पता
दिनांक

टीप– आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।

## शपथ पत्र

1– यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि :–

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2014 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई/वित्तीय संस्था/ बैंक द्वारा किया जावेगा ।

1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्व–प्रमाणी अभिलेख पूर्ण रूप से सही है

1.3 वित्तीय संस्था / बैंक को देय अवधि ...................................... में मूलधन/ ब्याज की किश्त का भुगतान नियमित रूप से किया गया है / भुगतान अनियमित है / भुगतान हेतु स्थगन दिया गया है ।

2– ब्याज अनुदान का क्लेम केवल सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज पर किया गया है । क्लेम में कार्यशील पूंजी पर ब्याज/ विलंब शुल्क/ शास्ती पर ब्याज सम्मिलित नहीं है ।

3– उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम पांच वर्षों तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

4– औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत स्थापित उद्योग सामान्य श्रेणी/ प्राथमिकता श्रेणी का उद्योग है । प्राथमिकता श्रेणी का उद्योग होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राथमिकता श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी हैं।

5– भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को ब्याज अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

या

भारत सरकार/ राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को ब्याज अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

6– अनुदान क्लेम अवधि दिनांक .................... से ........................... तक में उद्योग उत्पादनरत् रहा है एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय श्रेणी में रोजगार दिया गया हैं।

7– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

टीप– आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर उक्तानुसार हस्ताक्षर किये जावें ।

"उपाबंध–2"

(नियम .......)

( अभिस्वीकृति )

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला..............................

छत्तीसगढ़

**मेसर्स** ............................................................................................ पता.............................................................................................

द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2014**............................................................ के अन्तर्गत पूर्ण आवेदन दिनांक.............

........ (अक्षरी)................................................ को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक ................................ है ।

टीपः– भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की सील

## "उपाबंध–3"

## (नियम ..........)

## स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1– औद्योगिक इकाई / सेवा उद्यम........................................................................ के ब्याज अनुदान क्लेम अवधि .............................................. के संबंध में औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण दिनांक ...................... को किया गया ।

2– उक्त क्लेम अवधि में उद्योग में उत्पादन चालू / बंद रहा है तथा वर्तमान में उद्योग में उत्पादन चालू / बंद है।

3– उद्योग सामान्य श्रेणी/प्राथमिकता श्रेणी के अन्तर्गत है एवं उद्योग में कुल स्थायी पूंजी निवेश रू. ......................... है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में मान्य पूंजी निवेश रू0................. है।

4– औद्योगिक इकाई में स्थल निरीक्षण दिनांक को नियोजित रोजगार की निम्न स्थिति है, राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार के संबंध में उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्र. 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर किया गया हैं।

| क्र. | श्रम वर्ग | प्रदत्त रोजगार | | राज्य के मूल निवासियों को रोजगार | | प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार | निरीक्षण पर पाया गया रोजगार | औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार | निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अकुशल वर्ग | | | | | |
| 2 | कुशल वर्ग | | | | | |
| 3 | प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग | | | | | |
| | महायोग | | | | | |

| कुल रोजगार **(विद्यमान उद्योगो के विस्तार/शवलीकरण के प्रकरणों में)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रम वर्ग | विद्यमान औद्योगिक ईकाई के औद्योगिक ईकाई के रूप में दिया गया रूप | | | विद्यमान औद्योगिक ईकाई के विस्तार/शवलीकरण के तहत दिया गया कुल रोजगार | विद्यमान औद्योगिक ईकाई के विस्तार/शवलीकरण के तहत राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार | विद्यमान औद्योगिक ईकाई के विस्तार/शवलीकरण के तहत प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत |
| | राज्य के मूल निवासी | राज्य के बाहर | कुल | | | |
| 20 | 21 | | | 23 | 25 | 27 |
| अकुशल वर्ग | | | | | | |
| कुशल वर्ग | | | | | | |
| प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग | | | | | | |
| महायोग | | | | | | |

5— औद्योगिक इकाई/ सेवा उद्यम का स्वरूप एकल स्वामित्व/साझेदारी/कम्पनी/ सहकारी समिति के तहत् है जिसके मुख्य स्वामी/साझेदार/संचालक ..................................... .... है व यह उद्योग सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग/अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक/सेवानिवृत्त सैनिक/महिला उद्यमी/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/निःशक्त/ विदेशी तकनीक से संबंधित वर्ग द्वारा संचालित है ।

**6— नवीन/ विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शवलीकरण संबंधी बिन्दु पर टीप —**

**(अ) नवीन उद्योग के तहत् किया गया स्थाई पूंजी निवेश(मदवार), रोजगार तथा रोजगार के तहत् राज्य के स्थानीय निवासियों को दिये गये रोजगार के संबंध में टीप**

**(ब) विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण के तहत् प्लांट एवं मशीनरी के निवेश में हुई वृद्धि एवं वृद्धि का प्रतिशत।**

**(स) विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण के तहत् रोजगार में हुई वृद्धि एवं वृद्धि का प्रतिशत।**

7— उद्योग सामान्य उद्योगों की श्रेणी/ प्राथमिकता उद्योगों की श्रेणी में होने एवं संतृप्त/ कोर सेक्टर के उद्योगों में नहीं होने बाबत् टीप—

8— अन्य जानकारी जो आवश्यक हो —

9— अनुशंसा /अभिमत

स्थान :—
दिनांक :—

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद

प्रारूप

**उपाबंध–4**

**(नियम 7.3)**

**ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृति आदेश**

**उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र**

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .................................. दिनांक .................................. द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2014 के नियम क्रमांक "7.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार ब्याज अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है :–

| क्र0 | औद्योगिक इकाई का नाम व पता | उत्पाद व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक | उद्योग का स्वरूप नवीन/ विद्यमान उद्योग का विस्तार / शवलीकरण/ | ऋण वितरण का प्रथम दिनांक | वित्तीय संस्था / बैंक जो औ0 इकाई का वित्त पोषक है | ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि व अधिकतम अनुदान राशि | इस स्वीकृति आदेश के पूर्व वितरित राशि व अवधि.......तक | वर्तमान स्वीकृत स्वत्व | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | अवधि | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

2– यह राशि वित्तीय वर्ष– ...................... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी :–

..........................................................................

..........................................................................

3– यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।

उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग/ मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

**छत्तीसगढ़ शासन**
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

**अधिसूचना**

नया रायपुर, दिनांक ..................

क्रमांक एफ–20–31/2015/11/6, चूंकि राज्य शासन को ''छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016'' के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित ''ब्याज अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.06.2015 द्वारा जारी **''छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम–2014''** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

**संशोधन**

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा 5.13 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाये, अर्थात्

5.14 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बीमार/बंद उद्योग के क्रय हेतु लिए गये सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

5.15 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रूपये या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत, **जो भी अधिक हो**, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10 प्रतिशत, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की कालावधि में प्रारंभ हो, तो विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि के लिये किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित ब्याज अनुदान की पात्रता होगी किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं उक्त अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014–19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी।

**टीप** – उपरोक्त 5.14 एवं 5.15 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप 6.15 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 6.16 एवं 6.17 जोड़ा जाये, अर्थात्

6.16 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को यदि राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001–06 अथवा औद्योगिक नीति 2004–09 अथवा औद्योगिक नीति 2009–14 अथवा औद्योगिक नीति 2014–19 संबंधित औद्योगिक नीति एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् यदि **ब्याज अनुदान** प्राप्त नहीं होने पर अथवा आंशिक प्राप्त होने पर बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु किये गये अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर उपरोक्त पैरा 6 में उप पैरा 6.3 से 6.6 की तालिकाओं के तहत् औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु लागू दर एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से श्रेणीकृत (सामान्य उद्योग/प्राथमिकता उद्योग) आधार पर पूर्ण अथवा शेष बची ब्याज अनुदान राशि, जैसी भी स्थिति हो, दिया जावेगा।

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001–06/औद्योगिक नीति 2004–09/ औद्योगिक नीति 2009–14/ औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित ब्याज अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि किसी अवधि/अवधियों का ब्याज अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो ब्याज अनुदान को स्वीकृत करने में केवल नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमतः पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त कंडिका 5.15 अनुसार होगी।

6.17 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001–06/औद्योगिक नीति 2004–09/औद्योगिक नीति 2009–14 / औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014–19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुनः उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत उप पैरा 6.16 अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त उप पैरा 5.15 अनुसार होगी।

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 7.1 में (10) के पश्चात् निम्नलिखित (11) जोडा जावे, अर्थात्

(11) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को दिये जाने वाले ब्याज अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 04.06.2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(व्ही.के.छबलानी)**
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 20–31/2015/11/6 नया रायपुर दिनांक ..............
प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, रायपुर
   कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला ..................... छ0ग0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग